

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, पिता: श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम+पोस्ट-आमस, थाना-आमस, जिला-गया द्वारा जहानाबाद दरधा नदी बालू घाट: ब्लॉक नंबर-12, मौजा-राजा बिगहा, दानु बिगहा, अंचल-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 01.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2321/2023, dated 12.05.2023 के आलोक में श्रीमति सुधा गुप्ता, अपर समाहर्ता, जहानाबाद (जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दिनांक 01.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, मखदुमपुर, जिला: जहानाबाद में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 31.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा जहानाबाद दरधा नदी बालू घाट: ब्लॉक नंबर-12, मौजा-राजा बिगहा, दानु बिगहा, अंचल-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदया द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉंगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित

होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैं:-


क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री गौतम कुमार, पता: दानु विगहा, जिला: जहानाबाद।	इनके द्वारा बालू खनन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय क्षति के रोक-थाम; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। एवं खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुँच सके। इसप्रकार श्री गौतम कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री दिनेश कुमार सिंह, पता: अल्कूचक, जिला: जहानाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। इसप्रकार श्री दिनेश कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री पंकज कुमार, पता: कचनामा, जिला: जहानाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन में ओवरलोडिंग की समस्या के रोक-थाम एवं सड़क मार्ग के रख-रखाव से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन अवधि के


		<p>दौरान जो भी ग्रामीण सड़क खराब होंगे उनकी मरम्मती लेसी द्वारा किया जाना है साथ लेसी द्वारा बताया गया कि वे ज्यादा से ज्यादा वाहनों के परिवहन के दौरान ध्यान दें ताकि ओवरलोडिंग नही किया जा सके।</p> <p>इसप्रकार श्री पंकज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
4.	श्री दीपक कुमार गौतम, पता: जगदीशपुर, जिला: जहानाबाद।	<p>इनके द्वारा बालू खनन के दौरान रोजगार; से संबंधित प्रश्न पूछा।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा।</p> <p>इसप्रकार श्री दीपक कुमार गौतम को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।</p>
5.	श्री गौतम कुमार, पता: राजा बिगहा, जिला: जहानाबाद।	<p>इनके द्वारा DMF फंड के उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि DMF फंड के माध्यम से जिला पदाधिकारी के द्वारा गठित कमिटी के स्थानीय विकास योजना मद में खर्च के साथ-साथ लेसी के द्वारा मदद किया जाता है।</p> <p>इसप्रकार श्री गौतम कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।</p>
6.	श्री सियाराम प्रसाद, पता: दानु बिगहा, जिला: जहानाबाद।	<p>इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान होने वाले प्रदूषण की रोक-थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया।</p> <p>इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। खनन कार्य सतह से 2 मीटर</p>

		<p>की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। जिससे जल प्रदूषण की समस्या न हो। लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया साथ ही तीव्र गति वाले घ्वनि यंत्र का उपयोग नही करेगें।</p> <p>इसप्रकार श्री सियाराम प्रसाद यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।</p>
--	--	---

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 2 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।









जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि.रा.प्र.नि.पर्वद,
 गया



 अपर समाहती,
 जहानाबाद

उपस्थिति सूची

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रस्तावक: श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, पिता: श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम+पोस्ट-आमस, थाना-आमस, जिला-गया द्वारा जहानाबाद दरधा नदी बालू घाट: ब्लॉक नंबर-12, मौजा-राजा बिगहा, दानु बिगहा, अंचल-मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 01.09.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय: मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुधा सुधा	अपर सहायक मखदुमपुर	 01/09/23
2.	Mamta Kanyan Ka Singh	R.O, B. S. P. C. B. D., yaga	 1.9.23
3.	Nivendu Singh	MDO, Jehanabad	 01/09/23
4.	Kunal Kashyap	consultant	 01/09/23
5.	Mithilesh Kumar	Mines Inspector D.M.O, Jehanabad	 01.9.23
6.	Ravindra Kumar 9923211500	Mines Inspector	 1.9.2023
7.	राजेश्वर सिंह 8804331009	मखदुमपुर	 Rajeshwar Singh
8.	डा० अरविन्द कुमार 8804346516	ग्राम तितार बिगहा	

9.	शिवराम शुभकर 9661791155	रामेश कुमार	शिवराम शुभकर # शुभकर
10.	महेश कुमार शर्मा 8102691469	रवेल कीचक	महेश कुमार शर्मा
11.	सुभाष शर्मा 9631939669	सुभाष शर्मा	सुभाष शर्मा
12.	Ranjit Kumar 8864012720	वि. पाट्या	Raj
13.	UPINDRA KUMAR 9934098191	मालदुम्बर	UP
14.	राजेश कुमार 9576902279	Jegpura Makhechak	Raj
15.	Mirranjan Kumar 9798383813	Khalkochak	Mirranjan
16.	Pawan Sharma 7762055883	Dambhika	Pawan Sharma
17.	abnayanand 9405625338	रामेश शर्मा	abnayanand
18.	मिर्जान कुमारे 9579601401	रामेश शर्मा	Res
19.	शिवराम शुभकर 9798877686	रामेश शर्मा	Res

20.	अथर्वजन शर्मा	रामपुर 7256985172	अथर्वजन शर्मा
21.	राम प्रकाश मिश्र	सगदगापुर 9690352789	१६ अथर्व
22.	जिरीश मिश्र	११०५२३६३६९ कान्हाजीमा	
23.	कर्णवीर कुमार	कान्हाजीमा 9973171761	कर्णवीर कुमार
24.	प्रमोद कुमार	कचनामा 6202724792	प्रमोद कुमार
25.	रामा शोभा कुमार	नेर (गैलापुर) 9973458694	रामा शोभा (गुण)
26.	प्रमोद, मिस्त्री	डौलावा 6202308650	Upendra Mishra
27.	रामा गुण कुमार 8002798400	गकरपुर	रामा गुण कुमार
28.	Kamala Kaur Vidyaly Dakota 7209386314	कचनामा	Kamala Kaur
29.	उपेन्द्र शर्मा 9939975785	रामपुर	उपेन्द्र शर्मा
30.	अथर्वजन शर्मा 9931634322	रामपुर	अथर्वजन शर्मा

31.	ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ੀਨ 8409945166	ਦੁਬਈ ਮਿਲਿਟਰੀ	ਦੁਬਈ ਮਿਲਿਟਰੀ
32.	ਲਿਖਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 9934321731	ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ-ਦੇਵ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ	ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਪੁਰ
33.	ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ 8757011362	ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਿਟਰੀ	ਦਿੱਲੀ
34.	ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ	ਕੋਲਕਾਤਾ ਫੋਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਿਟਰੀ - ਮੁਕਤਸਰ	ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
35.	ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ	ਮੁਕਤਸਰ	Binod Singh
36.	ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ	ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਿਟਰੀ ਫਾਈਲਿਟਰੀ	ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
37.	ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ	ਮੁਕਤਸਰ	R.K.
38.	Ravinder Kumar 9973211541	Munir Mazra	<u>RK</u>
39.	Najim Saquib	minis Inspector DMU, Jalandhar	01.05.23
40.	Hardeep Kumar	P.N. Solution	Hardeep 11/9/23
41.	Amrinder Kumar	Danubigha	Amrinder

42.	ਪੁਸ਼ਪ ਕੁਮਾਰ 9334070390	ਮੁਕਤਸਰ ਮਿਲਿਟਰੀ - ਮੁਕਤਸਰ ਮਿਲਿਟਰੀ - ਮੁਕਤਸਰ	ਪੁਸ਼ਪ
43.			
44.			